नंबर
अहकाम
हुक्म की तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद पत्र संख्या........................ / .... उनवान........................ बनाम........................

13/5/26 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 25/5/2026 को पेश हो।

25/5/26 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 26/5/2026 को पेश हो।

26/5/26 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 27/05/2026 को पेश हो।

C.No. 186/2025 उनवान गोपाल v/s कानाराम

7/05/26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगणों की अर्ज 8/10/25 को ही तामिल हो चुकी है किन्तु वे आज तक अनु० है अतः अप्रार्थी 01 से 09 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।
वकील प्रार्थी की धारा 251 A RTA पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र एवं तहसीलदार किशनगढ़ के जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा गया। पत्रावली में शा० मि०। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती नीतू मीणा (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 186/2025

1. गोपाल पुत्र भंवर लाल
2. पप्पू पुत्र भंवर लाल
3. बालू पुत्र पूसा
4. गणेश पुत्र पूसा जाति माली
5.. बिरदी पत्नी बालूराम
6. कालू पुत्र पूसा जाति माली
7. लाला पुत्र पूसा जाति माली
8. कालूराम पुत्र नारायण जाति माली
9. सांवरिया पुत्र लादू जाति माली
10. सुवा पुत्र पूसा जाति माली

सर्वजाति माली सर्वनिवासी दादी का कुआं, मालियों की बाडी, किशनगढ जिलां अजमेर राज. जिला अजमेर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. कान्हाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र रघुनाथ जाति माली
2. रमेशचन्द पुत्र गोपाल लाल जाति माली
3. रामकरण पुत्र चेतनदास जाति माली
4. कैलाश माली पुत्र रामपाल
5. कान्ता पुत्री रामपाल
6. रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ जाति माली
7. सुवा पुत्र चेतनदास जाति माली
8. विमला देवी पत्नी रामपाल
9. शिवजीराम पुत्र रामपाल

सर्वजाति माली सर्वनिवासीगण दादी का कुआं, मालियों की बाडी, किशनगढ जिला अजमेर राज.

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 27.05.2026

उपस्थितः वकील प्रार्थी विजेन्द्र सैनी

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सैनी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज. का. अधि. 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

संख्या 1 व 2 के स्वामित्व, सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम किशनगढ–ए पटवार हल्का किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. में स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है कि खसरा संख्या 1723/2, 1731, 1734/2, 1907 कुल किता 04 कुल रकबा 2.9380 हैक्टेयर। प्रार्थीगण संख्या 03 की कृषि आराजी ग्राम किशनगढ में है जो इस प्रकार है खसरा संख्या 1722, 1735/11। प्रार्थीगण संख्या 04, 05 की कृषि अराजी का विवरण इस प्रकार है कि खसरा संख्या 1735/1 रकबा 0.4168 हैक्टैयर। प्रार्थी संख्या 06 की स्वामित्व की कृषि आराजी ग्राम किशनगढ ए में स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार है खसरा संख्या 1735/, 1735/8 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4533 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी संख्या 07 के स्वामित्व की कृषि आराजी ग्राम किशनगढ ए में स्थित है जिसके खसरा संख्या 1735/3 रकबा 0.1214 हैक्टेयर है, प्रार्थी संख्या 08, 9 के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1723/4 है, प्रार्थी संख्या 10 के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 1735/4, 1735/6, 1915/1 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4734 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण पैरा संख्या 01 में वर्णित खसरों की भूमि प्रार्थीगणो की खातेंदारी की भूमि है व प्रार्थीगण व उनके परिवार अपनी–अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए वर्षो से खसरा संख्या 1660 व खसरा संख्या 1652 की खसरों की भूमि में से आवागमन के रूप में उपयोग–उपभोग में ले रहे है। प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने–जाने के लिए किसी प्रकार का कोई रिकॉर्डेड रास्ता नही है। प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी में आने–जाने के लिए उपरोक्त अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1652 व खसरा संख्या 1660 की भूमि में से होते हुए व अन्यं की भूमि खसरा नं. 1655 से लगती हुई सीव, मेड से भूमि का उपयोग करके अपने खातेदारी की भूमि में जाते है जो वर्षों पुराना रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से कर रहे है। अतः उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित किया गया है प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को उपयोग उपभोग में उपरोक्त अप्रार्थीगण स्वयं, जरिये परिवारवालों से, सिरी से, नोकर–चाकर, एजेन्ट द्वारा हमें आने–जाने में उक्त रास्तें में बाधा कारित करते है एंव बारिश के समय में उपरोक्त खसरो की भूमि में से आने–जाने का रास्ता पूर्ण रूप से जलभराव के कारण बन्द हो जाता है व अप्रार्थीगण / खातेदारों द्वारा उपरोक्त जलभराव को समाप्त करने के लिए रोडी, मिट्टी आदि डालने नही दिया जाता है तथा अप्रार्थीगण लडाई–झगडे पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने में आये दिन लडाई–झगडा व कहासुनी का सामना करना पडता है व उपरोक्त विवाद आज दिन तक सतत् रूप से बना हुआ है, प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी आने–जाने के लिए सबसे करीब रास्ता उपरोक्त अप्रार्थीगण के खसरा सं. 1652 रकबा 3.4722 हैक्टेयर भूमि में से सीव मेड के सहारे जिससे राजस्व नक्शा ट्रेश में लाल स्याही से दर्शित किया गया है सबसे करीब रास्ता है, जो उपरोक्त अप्रार्थीगण की भूमि में से जाता है। प्रार्थीगण उपरोक्त अप्रार्थीगण की भूमि में से होकर उक्त मार्ग जो काफी वर्षों से सुचारू है को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि से 25 फिट चोडा रास्ता दिया जाये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण राजस्व नक्शा. दर्शित लाल स्याही के मार्ग से ही आते जाते है। प्रार्थीगण को लगभग 3 बिस्वा भूमि मार्ग हेतु अप्रार्थीगण की भूमि की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि से रास्ता बनाया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई क्षति नही होगी। वर्तमान में बारिश का मौसम है तथा उपरोक्त वर्षो पुराने रास्ते में भारी गड्डे हो गये है इसलिए प्रार्थीगण दिनांक 15.07.2025 को उक्त रास्ते में मिट्टी डालकर उसके सुदर्द बनाना चाहा है इसलिए प्रार्थीगण ने उपरोक्त अप्रार्थीगण को उनकी आराजियात में आने–जाने के लिए रास्ता देने एंव उक्त रास्ते के बदले समुचित राशि डी. एल.सी. दर के अनुसार देने का प्रस्ताव भी रखा किन्तु उपरोक्त अप्रार्थीगण ने हटधर्मिता दिखाते हुए रास्ता देने से इंकार कर दिया और झगडने लग गये

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने–जाने के लिए उपरोक्त अप्रार्थीगण की भूमि ख. सं. 1652 क्षेत्रफल 3.4722 हैक्टेयर में वर्षो से चले आ रहे रास्ते की आवश्यकता है उक्त रास्ते की । की डी.एल. सी. दर के अनुसार की कीमत प्रार्थीगण उपरोक्त अप्रार्थीगण को प्रदान करने के लिए तत्पर है। खसरा संख्या 1660 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त खसरों की भूमि प्रार्थीगण की कई पीढियों से प्रार्थीगण व आमजन कृषको के आम रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग में ली जा रही है, जिस पर ग्राम पंचायत के अनुदान व सहायता द्वारा संरकारी योजनाओं के अन्तर्गत ब्लॉक सीमेन्ट की रोड बनी हुई है जो रोड आगे अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1652 से होती हुई मुख्य सडक/रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1639 पर जा लगती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 1652 में से 25 फीट रास्ता की भूमि प्रार्थीगण को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2025 को 186/2025 क्रमांक पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगणों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से दिनांक 27.05.2026 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। खसरा संख्या 1652 में से होतें हुये खसरा संख्या 1660 से होकर प्रार्थीगणों की भूमि तक आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध हो सकता है। प्रार्थीगणों को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगणों को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1652 में से 08 मीटर चौडा रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये अधिग्रहित रकबा 0.0448 हैक्टेयर है जिसके लिये वर्तमान डी.एल.सी. दर 2630700/– के अनुसार निर्वापित राशि 117856/– की दुगुना 2,35,712/– दो लाख पैंतीस हजार सात सौ बारह रूपये बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम मार्ग नहीं है। खसरा संख्या 1660 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम है जिसमें प्रार्थीगण एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार रास्ता चालू है।

4. हमारे द्वारा दिनांक 27.05.2026 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार किशनगढ की प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट एवं मौके अवलोकन से ताईद है कि आवेदनकर्ता की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1652 में से रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगणों को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को आवागमन हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 1652 में से दिया जा सकता है जिसके लिये खसरा संख्या 1652 कुल रकबा 3.4722 हैक्टैयर में से 0.0448 हैक्टैयर अधिग्रहित की जायेगी। ग्राम किशनगढ ए के खसरा संख्या 1652 की वर्तमान डी.एल.सी. दर 2630700/– रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0448 हैक्टयर की निर्वापित दोगुना राशि 2,35,712/– दो लाख पैंतीस हजार सात सौ बारह रूपये होती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता दिये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य के आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो जायेगा, जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

आदेश

प्रार्थना पत्र, तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम किशनगढ ए स्थित खसरा संख्या 1652 में से 08 मीटर चौडे रास्ते के अनुसार 0.0448 हैक्टेयर, भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर 2630700/– रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार ख0नं0 1652 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0448 हैक्टेयर हेतु निर्वापित राशि की दोगुणा राशि राशि 2,35,712/– दो लाख पैंतीस हजार सात सौ बारह रूपये होती है, जो प्रार्थीगण द्वारा, राजस्व मण्डल सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 में प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0448 हैक्टैयर भूमि की प्रतिभूति राशि 2,35,712/– अक्षरे दो लाख पैंतीस हजार सात सौ बारह रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् हल्का भू.अ.नि. रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1652 में रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0448 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी संख्या 01 से 09 को राजस्व रिकार्ड में अंकित उनके हिस्से के अनुपात अनुसार नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ।